

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 14/2023-संघ राज्य कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्टूबर, 2023

सा.का.नि. .... (अ)- संघ राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 704 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 5 के समक्ष, कॉलम (2) में, उप-खंड (2) में, मद (i) में, "डाक विभाग" शब्दों के बाद, "और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) " शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 5क के समक्ष, कॉलम (2) में, "केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाएं" शब्दों के बाद, "[ रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) को छोड़कर]" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

2 यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[फाइल संख्या सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ (टीआरयू-II)-सीबीईसी]

(राजीव रंजन)  
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 704 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था

और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 08/2023-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2023, सा.का.नि. 545 (अ), दिनांक 26 जुलाई, 2023 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है ।